

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/135772/KHR/KHERI/953/CFO

दिनांक: 04-11-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स GURU NANAK DEV ACADEMY (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 476 477 478 492, VILL SADARPUR AURANGABAD, Lakhimpur तहसील - Mitauli, प्लॉट एरिया 8200 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 3065.5 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	11.85 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स GURU NANAK DEV ACADEMY द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 08-11-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री JASPAL SINGH के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 08-11-2024 से 08-11-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स GURU NANAK DEV ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स GURU NANAK DEV ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : UID NO. UPFS/2023/87803/KHR/KHERI/546/CFO के द्वारा भूतल व प्रथम तल हेतु noc निर्गत की गई थी जिसे निरस्त करते हुए यह noc भूतल, प्रथम तल तथा द्वितीय तल हेतु मान्य होगी तथा -UP F& ES अधिनियम 2022 तथा -UP F& ES 2024 के अनुसार परिशीलन किया गया है। निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा-1-विद्युत विभाग से बिजली सुरक्षा (electricity safety) प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा 2-UP F& ES 2024 के नियम 55 (1) के अनुसार 2500 से अधिक विद्यार्थी होने पर फायर ऑफिसर की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा 3-अर्हित अभिकरण से मानकों के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा संस्थापन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा निकास मार्ग/अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता /कार्यशीलता बनाये रखना संबंधित का दायित्व होगा ,

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(AKSHAY RANJAN SHARMA)

[E99078B00990075074DF12AAF8C0EB5964B88C91]

08-11-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 08-11-2024

स्थान : KHERI

Secretary/manager
Guru Nanak Dev Academy
Sadarpur Maigalganj-Kheri

Principal
Guru Nanak Dev Academy
Sadarpur Maigalganj-Kheri